दिनांक–10.08.2015 को आयोजित प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में, जिला शहरी विकास अभिकरण (DUDA) के कार्यपालक अभियंताओं की मासिक बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः– पंजी के अनुसार

1. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सभी कार्यपालक अभियंताओं को मासिक बैठक में स्वागत करते हुए सम्बोधित किया गया।

2. मुख्यमंत्री शहरी विकास योजनाओं में डुडा के कार्यपालक अभियंताओं को प्रत्यक्ष भूमिका निभाना है। सभी जिलों में, उन्हें नगर अभियंता की भूमिका को भी निभाना है।

3. जिला संचालन समिति की बैठक, जिन जिलों में अभी तक वित्तीय वर्ष 2015–16 के योजनाओं के लिए आयोजित नहीं हुआ है, सम्बन्धित DUDA के कार्यपालक अभियंता, जिलाधिकारी को अवगत करायें। प्रभारी माननीय मंत्री महोदय से समन्वय स्थापित कर शीघ्र बैठक करायें तथा पिछलें वित्तीय वर्ष 2014–15 में, प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये गये योजनाओं की Liability राशि को घटाकर, शेष राशि के सवा गुणा राशि का योजना लें। तकनीकी स्वीकृति एवं निविदा को शीघ्र करें।

4. आगामी विधान सभा चुनाव '2015 के पूर्व योजनाओं को roll out करने का निदेश दिया गया, जिससे कि खर्चा (Expenditure) प्रभावित नहीं हो।

5. वर्ष 2015–16 की आवंटित मुख्यमंत्री शहरी विकास योजनाओं की राशि की कोषागार से शीघ्र निकासी करने का भी निदेश दिया गया।

6. लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र के लिए विहित–प्रपत्र में विवरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। दिनांक–19.08.2015 को सभी कार्यपालक अभियंता उपयोगिता प्रमाण–पत्र को समायोजन हेतु स्वंय मुख्यालय में आकर या प्रतिनिधि को भेजकर समर्पित करेंगे।

7. अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बक्सर, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, मोतिहारी, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, नालन्दा, नवादा, पटना डुडा–1, पटना डुडा–2, पूर्णियाँ, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर,

सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, वैशाली, बेतिया के डुडा के कार्यपालक अभियंताओं से प्राप्त व्यय प्रतिवेदनों की समीक्षा की गई। डुडा, बांका के अनुपस्थित कार्यपालक अभियंता के सम्बन्ध में कनीय अभियंता से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। व्यय असंतोषजनक रहने के कारण, तेजी लाने का निदेश दिया गया। जिन जिलों में 2015–16 के लिए जिला शहरी विकास अभिकरणों में, जिला संचालन समिति की बैठक नहीं हुई है, आयोजित कराने का निदेश दिया गया। विपत्रों के सम्बन्ध में, राशि विमुक्ति हेतु संचिका के माध्यम से जिला पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण करने का भी निदेश दिया गया।

8. मासिक समीक्षा बैठक के दौरान, कई जिलों के जिलाधिकारी से मोबाईल पर वार्त्ता कर, डुडा के कार्यों की समीक्षा करने, शेष राशि विमुक्त करने के सम्बन्ध में प्रधान सचिव के द्वारा निदेशित किया गया। Expenditure को बढ़ाने के लिए भी निदेशित किया गया। समीक्षा में Unspent राशि बहुत ज्यादा होने से चिन्ता व्यक्त किया गया। स्थिति में सुधार लाने का निदेश दिया गया।

9. कार्यपालक अभियंताओं को प्रत्येक माह के द्वितीय सोमवार मासिक समीक्षा बैठक के कम से कम चार दिनों पूर्व ब्यौरा M.I.S को भेजने का निदेश दिया गया। Unspent राशि का ब्यौरा को भी स्पष्ट करेंगे।

10. जिला में डुडा के मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के Account के Operation पर एवं जिला में जाँच की व्यवस्था पर, मुख्यालय से मार्गदर्शन भेजने के सम्बन्ध में निदेश दिया गया। जाँच का कार्य एक समय सीमा में तीव्र करना चाहिए। मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना में गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु संचिका शीघ्र उपस्थापित की जाय एवं प्रत्येक माह विशेष सचिव के स्तर से सभी जिलाधिकारियों को मुख्यालय से पत्र दिया जाय।

11. समीक्षा में डुडा, पूर्णियाँ के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि विपत्र एवं मापी पुस्त, जिलाधिकारी को समर्पित किया जाता है तथा जिला से ही चेक निर्गत किया जाता है। इस प्रथा को उचित नहीं माना जा सकता है।

12. बैठक में समस्तीपुर एवं जहानाबाद, बक्सर के डिजीटल सिग्नेचर के बारे में जानकारी हुई, जिसके लिए बेल्ट्रॉन से समन्वय कर शीघ्र प्राप्त कर लेने का निदेश दिया गया।

13. नगर सरकार भवन, जहाँ अभी तक डुडा द्वारा कार्रवाई नहीं की गई थी, का निर्माण कार्य नगर निकायों द्वारा किया जायेगा। विभागीय निर्णय का पत्र को बैठक में पढ़कर सुनाया गया। यदि कोई विसंगति हो तो कार्यपालक अभियंता को लिखित पत्र के माध्यम से विशेष सचिव को सूचित करने का निदेश दिया गया।

14. सम्राट अशोक भवन के निर्माण कार्य, जहाँ शुरू नहीं हुआ है, को भी नगर निकायों द्वारा बनाया जायेगा। इससे सम्बन्धित विभागीय निर्णय के पत्र से सभी कार्यपालक अभियंताओं को बैठक में अवगत कराया गया।

15. राज्य योजना के शीर्ष के अन्तर्गत की योजनाएँ अब 50.00 लाख रू0 तक के नीचे के लिए मुख्यालय में तकनीकी स्वीकृति हेतु नहीं भेजी जाएगी। तकनीकी स्वीकृति एवं निविदा अनुमोदन की शक्तियों के विकेन्द्रिकृत किये जाने के बाद, अद्यतन निर्गत संकल्प के अनुसार ही कार्रवाई की जाय।

16. बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 36 में सभी नगर निगमों में नगर मुख्य अभियंता का पद तथा नगर परिषदों/नगर पंचायतों में नगर अभियंता के पद का उल्लेख है। कार्यपालक अभियंता को उक्त कार्यों के निवर्हन हेतु विभाग से आदेश निर्गत किये जाने की कार्रवाई की जाय।

17. सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि जिले के नगर निकायों (ULBs) के योजनाओं का वित्तीय वर्षवार प्रगति प्रतिवेदन को रिपोर्ट करेंगे। 10.00 लाख रू0 तक की योजनाओं की प्रगति को सहायक अभियंता के माध्यम से प्रगति का अनुश्रवण करेंगे।

18. भवन उपविधि 2014 के तहत् नक्शा को सभी ULBs में पास करने का दायित्व को भी निभाना है। डुडा के कार्यपालक अभियंता नक्शा की जाँच करें एवं सुगमतापूर्वक नक्शा पास कराया जाय। साथ ही अवैध तरीकों से हो रहे भवनों के निर्माण को रोकना है।

19. भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई योजनाओं जैसे अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, सबके लिए आवास (HFA) को विस्तार से मार्गदर्शिका के आलोक में चर्चा कर कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया। अमृत योजना का कार्यान्वयन ULBs द्वारा किया जाना है। Action Plan, D.P.R के लिए एजेन्सी Hire कर Scheme को Own

करेंगे। नगर अभियंता के रूप में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत अनुश्रवण करेंगे। सभी कार्यपालक अभियंता, अपने–अपने शहरों का HFA योजना के तहत् Developer's के साथ बैठक कर एक या दो SLUM का आवासीय भवनों का PLAN/प्रस्ताव को अगली बैठक में लेकर आयेंगे।

20. स्पर के प्रतिनिधि ने उपयोगिता प्रमाण–पत्र के लिए स्पर शहरों के सभी कार्यपालक अभियंताओं को विवरणी देते हुए शीघ्र उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

21. आई० टी० मैनेजर को On-Line Monitoring के System को शीघ्र चालू करने के लिए निदेशित किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

18/8

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

न०वि०अभि०(को०)65/2015

ज्ञापांक– 1549 दिनांक– 18/8/15

प्रतिलिपिः– विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/मुख्य अभियंता/विशेष कार्य पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/8

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

न०वि०अभि०(को०)65/2015

ज्ञापांक– 1549 दिनांक– 18/8/15

प्रतिलिपिः– सभी कार्यपालक अभियंता, डुडा, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बक्सर, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, मोतिहारी, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, नालन्दा, नवादा, पटना डुडा–1, पटना डुडा–2, पूर्णियाँ, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, वैशाली, बेतिया एवं बांका को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/8

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग